



सृष्टि सेवा संस्थान

खरीद—बिक्री नीति
(Procurement Policy)

खरीद-विक्री नीति

संस्थान से सम्बन्धित किसी भी सामग्री की खरीद विक्री एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा, इसका विवरण निम्नवत् है:-

- किसी भी चल या अचल सम्पत्ति की खरीद व विक्री के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का अनुमोदन होना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रबन्धकारिणी द्वारा एक कमेटी का गठन कर परिसम्पत्तियों की खरीद व विक्री की जायेगी।
- यदि खरीद व विक्री का प्रावधान परियोजनान्तर्गत है, तो संस्था प्रमुख की संस्तुति के आधार पर गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही खरीद किया जायेगा।
- समिति द्वारा किसी सामग्री की खरीद कम से कम तीन कोटेशन के आधार पर क्रय किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में इसकी संख्या 2 हो सकती है।
- यदि सामग्री की धनराशि 10000 से कम है तो इसे समिति के अनुमोदनोपरान्त बिना किसी कोटेशन के खरीदा जा सकता है।
- कोटेशन की अनुपलब्धता होने पर मार्केट सर्वे के आधार पर समिति के अनुमोदनोपरान्त खरीद की जा सकती है।
- 20 हजार से उपर की धनराशि के विक्री हेतु निलामी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।



सुनील कुमार पाण्डेय
सचिव

1 / ✓